जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) हेतु आमंत्रण

मंडल कार्यालय,
अजमेर

संख्या : सी / 500 / जेटीबीएस / 14 / भाग– I   दिनांक   / 07 / 2015

कार्य का नाम	कार्य की अवधि	स्टेशन
जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) के नियुक्ति हेतु।	तीन वर्ष	अजमेर मंडल के समस्त स्टेशन एवं नॉन रेल हैड पीआरएस पूर्ण विवरण उत्तर पश्चिम रेलवे की वैबसाईट http://www/nwr.indianrailways.gov.in पर देखें।

1	कार्यालय का पता जहॉ से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।	इच्छुक आवेदनकर्ता, आवेदन पत्र तथा अन्य समस्त जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अजमेर से प्राप्त कर सकते हैं तथा उत्तर पश्चिम रेलवे की वैबसाईट http://www/nwr.indianrailways.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
2	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	आवेदन वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अजमेर में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय के समय के दौरान प्रस्तुत किये जा सकते है।
3	वैबसाईट तथा नोटिस बोर्ड जहॉ से आवेदन के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	आवेदन के संबंध में पूरी जानकारी http://www/nwr.indianrailways.gov.in वैबसाईट पर मंडल अजमेर के लिंक पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त समस्त जानकारी व आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक
उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर

उत्तर पश्चिम रेलवे
अजमेर मण्डल

(संख्याः सी / 500 / जेटीबीएस / 14 / भाग–1 दिनांक 10.07.2014)

उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जे.टी.बी.एस) को नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा अजमेर मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) से अनारक्षित रेल टिकटों को जारी करने हेतु प्रत्येक माह प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को नामित कमेटी द्वारा प्रत्येक माह के दूसरी बुधवार को जांच कर जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जे.टी.बी.एस.) की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। साधारण टिकट बुकिंग सेवक के चयन और सूची संक्षेपित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं ऐसी शर्ते जो समय–समय पर विहित की जायेगी, को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्यालय दिवस व समय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अपूर्ण आवेदन पत्र तथा मांगे गए दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज के संलग्न नहीं किए जाने पर रद्द कर दिये जायेंगें।

अजमेर मंडल के निम्न 84 स्टेशनो एवं 06 नोन रेल हैड पीआरएस पर विविध कोटियों को विहित कोटा के साथ जे.टी.बी.एस. की अनुज्ञप्ति जारी किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में आवेदकों की संख्या, तकनीकी संभावना एवं विविध कोटियों के आरक्षण को दृष्टि में रखकर जे.टी.बी.एस. की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है।

क्रम संख्या	स्टेशन का नाम	क्रम संख्या	स्टेशन का नाम	क्रम संख्या	स्टेशन का नाम
1	अजमेर	33	भेसाना	65	सिरोहीरोड़
2	दौराई	34	धारेश्वर	66	बनास
3	सराधना	35	मारवाड़ जंक्शन	67	भीमाना
4	मकरेड़ा	36	आउवा	68	किवरली
5	मंगलियावास	37	बांता रघुनाथगढ़	69	मोरथला
6	लमाना	38	भिनवालिया	70	आबूरोड़
7	खरवा	39	सोमेसर	71	सरोत्रारोड़
8	पिपलाज	40	जवाली	72	जेथी
9	ब्यावर	41	भगवानपुरा	73	चित्रासनी
10	अमरपुरा	42	रानी	74	करजोड़ा
11	बर	43	खिमेल	75	आदर्शनगर
12	गुड़िया	44	फालना	76	हटुण्डी
13	चण्डावल	45	बिरोलिया	77	राजोसी
14	बगड़ी सज्जनपुर	46	जवाईबॉध	78	फुलाद
15	बगड़ी नगर	47	कोठार	79	खामलीघाट
16	नसीराबाद	48	कपासन	80	चारभुजारोड़
17	झड़वासा	49	मावली जंक्शन	81	कांकरोली
18	सिंगावल	50	भीमल	82	नाथद्वारा
19	मोखमपुरा	51	खेमली	83	बड़ी सादड़ी
20	बिजयनगर	52	देबारी	84	पुष्कर
21	गुलाबपुरा	53	राणाप्रतापनगर		
22	रूपाहेली	54	उदयपुरसिटी		नोन रेल हैड पीआरएस
23	सरेरी	55	उमरा	85	सिरोही सिटी
24	रायलारोड़	56	खरवाचांदा	86	अम्बाजी
25	लाम्बिया	57	जावर	87	माउंट आबू
26	भीलवाड़ा	58	जयसमन्दरोड़	88	सुमेरपुर
27	मण्डपिया	59	रिखवदेवरोड़	89	राजसमंद
28	हमीरगढ़	60	डूॅगरपुर	90	नाथद्वारा मंदिर
29	गंगरार	61	विच्छीवाड़ा		
30	घोसुण्ड़ा	62	लुसाड़िया		
31	पाण्ड़ोली	63	रायगढ़रोड़		
32	सोजत रोड़	64	केशवगंज		

1. <u>योग्यता</u> :

1.1 आवेदक को आवेदन की तिथी से 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिये तथा कम से कम मैट्रिक या समकक्ष पास होना चाहिये।

1.2 आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/ब्लॉक डेपलवमेंट अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी अच्छे नैतिक चरित्र होने का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आवेदक को उसके निवास क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं हैं।

1.3 यू.टी.एस. टिकट जारी करने हेतु चयन किए गए परिसर तक आम नागरिकों के लिए पहुँचना आसान होना चाहिये।

1.4 आवेदक के कार्यालय में एक लैंड लाईन टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिये।

1.5 आवेदक उस स्टेशन के क्षेत्र का जहां से सेवा चाहता है, स्थानीय निवासी होना चाहिये (मतदाता परिचय पत्र अथवा जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

1.6 आवेदक को जमाराशि (परिदेय) के रूप में रूपये 5,000/–की एफ.डी.आर. तथा रू0 20,000/– की बैंक गारण्टी, जो वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर के नाम होगी, देने के लिए तैयार होना चाहिये।

1.7 आवेदक को एक यू.टी.एस. आवंटित किया जायेगा तथा टर्मिनल उपकरणों यथा वी.डी.यू, की–बोर्ड, प्रिंटर, यूपीएस इत्यादि रेलवे मानक के अनुसार तथा नेटवर्क/चैनल पर होने वाले व्यय स्वयं वहन करने होंगें।

2. <u>उपकरण</u>:

2.1 जे.टी.बी.एस. के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची निम्नानुसार है। उपकरणों का स्पेसीफिकेशन उत्तर पश्चिम रेलवे की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

मोडम एक्सेसरीज के साथ	–	1 जोड़ा
डम्ब टर्मिनल	–	1 नग
टिकट प्रिंटर	–	1 नग
रिपोर्ट प्रिंटर	–	1 नग
यूपीएस	–	1 नग
टर्मिनल सर्वर	–	1 नग

2.2 बी.एस.एन.एल. अथवा किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर का डाटा चैनल दोनों सिरे पर जिसका वास्तविक व्यय आवेदक को वहन करना होगा।

2.3 लाइसेंस पूरा होने/निरस्त किए जाने पर जे.टी.बी.एस. के विरूद्ध जो भी बकाया देय अवशेष होगा उसे जमानत राशि में समायोजित किए जाने के पश्चात् अवशेष राशि जे.टी. बी.एस. को वापस कर दी जाएगी।

3. अन्य शर्ते :

3.1 जे.टी.बी.एस., यू.टी.एस. टर्मिनल सर्वर एवं उपकरण स्वयं खरीदेगा जिसके लिए समस्त व्यय एवं चैनल सहित समस्त आवर्ती व्यय जे.टी.बी.एस. को वहन करना होगा।

3.2 जे.टी.बी.एस को मात्र नकद टिकट (अग्रिम, कलस्टर एवं प्लेटफॉर्म टिकट सहित) जारी करने की अनुमति होगी। उन्हें किसी भी तरह के रियायती टिकट (वरि. नागरिक टिकट के अलावा), कोरा कागज टिकट या मनी रसीद जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

3.3 जे.टी.बी.एस. पुराने सीजन टिकिट का नवीनीकरण कर सकेगा। सीजन टिकिट को कमीशन हेतु एक यात्री टिकिट माना जायेगा।

3.4 जे.टी.बी.एस. को उनके द्वारा जारी टिकटों की धन वापसी किए जाने की अनुमति नहीं होगी। धन वापसी सिर्फ संबंधित स्टेशन द्वारा की जायेगी।

3.5 जे.टी.बी.एस. को न्यूनतम अग्रिम धन रू. 10,000/—जमा कराना होगा और उनके द्वारा तभी तक टिकट जारी किए जा सकेंगे जब तक उस जमा राशि में न्यूनतम शेष रू. 10,000/— होगा। इस राशि से कम होने पर पुनः एडवांस जमा करवाना होगा।

3.6 जे.टी.बी.एस यात्रियों से एक रूपया प्रति यात्री की दर से कमीशन लेगा, जो टिकिट पर अलग से छपा होगा।

3.7 जे.टी.बी.एस. द्वारा यात्री से टिकिट पर छपी राशि ही वसूल की जायेगी। रेलवे का किराया व कमीशन राशि टिकट पर अलग—अलग छपी रहती है।

3.8 जे.टी.बी.एस.को टिकिट विक्रय हेतु सिस्टम पर प्रतिदिन लॉग ईन करना होगा।

3.9 जेटीबीएस द्वारा दोषपूर्ण कार्य करने के परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा जो भी नियमानुसार डेबिट दिये जायेंगें, उनका भुगतान जेटीबीएस को करना होगा।

3.10 जे.टी.बी.एस., उन सभी प्रक्रियाओं एवं शर्तों को जो रेल प्रशासन द्वारा समय—समय पर जारी किए जाएंगे, को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.11 जे.टी.बी.एस रेलवे स्टेशन परिसर से टिकट जारी नहीं करेंगे।

3.12 सक्षम अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य कर्मचारी को जे.टी.बी.एस. परिसर में किसी भी समय जाने और रिकार्डस का निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा जे.टी.बी.एस इसमें हरसंभव सहयोग करेगा।

3.13 जे.टी.बी.एस. द्वारा किए गए लेन—देन का सार (प्रतिदिन/आवधिक/मासिक) सर्विंग स्टेशन को जे.टी.बी.एस द्वारा दिया जाएगा एवं इस संबंधित रिकार्ड का रखरखाव जेटीबीएस को अपने पास पॉच वर्ष तक रखना होगा।

3.14 यदि किसी कारणवश जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जेटीबीएस की नियुक्ति के बाद जेटीबीएस के संचालन में अनिच्छा/असक्षमता जाहिर करता है तो बैंक गारंटी के साथ सुरक्षित जमा राशि जो जेटीबीएस द्वारा जमा कराई गई है, उसे जब्त कर ली जायेगी।

3.15 किसी एक माह की अवधि में प्रत्येक आवंटित काउंटर पर प्रतिदिन 800 से अधिक टिकट बिक्री होने जेटीबीएस को एक अतिरिक्त जेटीबीएस काउंटर चलाने की अनुमति होगी।

3.16 जेटीबीएस द्वारा टर्मिनल किसी अन्य को सबलेट या स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। जेटीबीएस की मृत्यु की दशा में शेष अवधि के लिए लाईसेंस विधिक वारिस को सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, जो अवधि समाप्त होने पर लाईसेंस बढ़ाने के आवेदन हेतु पात्र होगा।

3.17 टिकट विक्रय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से जेटीबीएस आपरेटर सक्षम अधिकारी की अनुमति से मूल स्थान से तय स्थान पर अपने स्वयं के खर्चे पर शिफ्ट कर सकेगा।

3.18 जेटीबीएस टिकट रोल की सुरक्षा के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें किसी भी प्रकार की हानि होने पर नियमानुसार डेबिट जारी किया जायेगा।

3.19 जेटीबीएस प्रतिदिन स्टेशन मास्टर या नामित व्यक्तियों को बेचे गये टिकट एवं राशि का पूर्ण विवरण लिखित में देगा।

3.20 टिकट जारी करने के गलती के कारण टिकट सेवित स्टेशन पर रद्दीकरण प्रभार की कटौती के बाद टिकट रद्द कराया जा सकता है।

4. <u>आरक्षणः</u>

4.1 जे.टी.बी.एस की कुल संख्या का मण्डलीय आधार पर निम्नानुसार 49.5ः आरक्षण होगा—

क्रम संख्या	जाति	आरक्षण	टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	12%	प्रत्येक कोटि में 10% आरक्षण स्वतंन्त्रता सेनानी और युद्व में मारे गये सैनिकों की विधवाओं एवं रेल कर्मचारियों की विधवाओं सहित महिलाओं के लिए तथा 10% आरक्षण मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए होगा।
2	अनुसूचित जन जाति	08%	
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	20%	
4	अल्पसंख्यक	9.5%	

4.2 ’अल्पसंख्यक में (1) मुस्लिम (2) क्रिश्चियन (3) सिख (4) बौद्ध (5) पारसी समुदाय शामिल है।

4.3 उपरोक्त के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण असक्षम व्यक्ति (शारीरिक विंकलाग व्यक्ति) सामान्य श्रेणी में भी लागू होगा।

5. <u>ठेके की अवधिः</u>

ठेके का प्रारम्भिक काल तीन वर्ष का होगा, जिसे संतोषप्रद कार्य करने पर वार्षिक आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तत्पश्चात् नये सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें वर्तमान जे.टी.बी.एस. भी आवेदन करने के पात्र होंगे। जे.टी. बी.एस के द्वारा रेलवे के साथ एक करार हस्ताक्षर करना होगा।

6. <u>ठेके का निरस्तीकरणः</u>

उभय पक्ष बिना कोई कारण बताये एक माह का पूर्व नोटिस देकर ठेका निरस्त कर सकता हैं।

7. जे.टी.बी.एस. का चयनः

7.1 जे.टी.बी.एस. का चयन सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त एक तीन अधिकारियों की समिति द्वारा किया जायेगा।

7.2 आवेदकों में से किसी को यू.टी.एस. टिकट जारी करने हेतु जे.टी.बी.एस के रूप में अधिकृत किए जाने के संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा और रेल प्रशासन के पास किसी भी आवेदन पत्र का बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी पैरवी अथवा असफल अभ्यार्थियों के द्वारा किसी तरह का पत्राचार स्वीकार्य नहीं है।

7.3 जे.टी.बी.एस के रूप में नियुक्त किए जाने से उस व्यक्ति को रेलवे में नियोजन पाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से ठेके की प्रकृति की है और कोई भी सुविधा यथा रेल सेवा में समाहित किया जाना, सेवा का नियमितिकरण, लाभांश, रेलवे पास की सुविधा इत्यादि जे.टी.बी.एस को नहीं होगी।

8. पंचाट (आरबीट्रेशन):

जे.टी.बी.एस और रेल प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर अंतिम प्राधिकारी होंगे।

9. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :

9.1. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें :

(क) आयु व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र

(ख) पते का प्रमाण–पत्र

(ग) लैंडलाईन टेलीफोन कनेक्शन होने का प्रमाण–पत्र अथवा शपथ पत्र कि आवेदक दो माह में जेटीबीएस के आवंटन के पश्चात लैंडलाईन टेलीफोन कनेक्शन लगा लेगा।

(घ) स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

(ङ) आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

(च) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/ब्लॉक डेपलवमेंट अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी अच्छे नैतिक चरित्र होने का चरित्र प्रमाण पत्र

(छ) आवेदक को उसके निवास क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं हैं।

10. <u>आवेदन की प्रस्तुति</u> :

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ रजिस्टर्ड डाक/ स्वयं द्वारा वरि0 मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंघक कार्यालय – उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर–305001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाईट ***www.northwesternrailway.gov.in*** में अजमेर मंडल के लिंक पर एवं उसके पश्चात वाणिज्य विभाग के लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड भी किया जा सकता है। ऊपर मांगे गए दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज के संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर रद्द कर दिये जाएॅगे। आवेदक आवेदन पत्र के ऊपर बड़े अक्षरों में जे.टी.बी.एस अधिकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र _ _ _ _ _ _स्टेशन हेतु (स्टेशन का नाम जिसके लिये आवेदन किया है), अवश्य लिखें।

संलग्न–आवेदन पत्र का प्रारूप

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य),
अजमेर।

उत्तर पश्चिम रेलवे
अजमेर मंडल

जे.टी.बी.एस. अधिकृत किए जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्टेशन.................................
आरक्षण कोटि...................................

आवेदक अपना स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो यहां चिपकाये

1. (क) आवेदक का नाम : ....
   (ख) पिता / माता / पति का नाम : ....
2. व्यवसाय : ....
   पता : ....
   ....
   टेलीफोन नं. : ....
3. शैक्षणिक योग्यता:..
4. स्थिति : ....
5. सर्विंग स्टेशन का नाम, जिसके लिए
   अधिकृत किया जाना आवेदित है : ....

6. क्या परिसर निजी स्वामित्व में है अथवा किराये पर / पट्टे पर है..................
7. क्या परिसर आम जन के सहज पहुँच में है ? ....
8. व्यावसायिक परिसर में उपलब्ध स्थान का ....
   विवरण एवं माप एवं परिसर का पता ....

9. क्या किसी आरक्षण कोटि में आवेदन किया गया है : ....
   (यदि हां तो प्रासंगिक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट /
   उप जिला मजिस्ट्रेट / ब्लॉक डेपलवमेंट अधिकारी /
   तहसीलदार द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र .
   कि आवेदक उत्ततम नैतिक चरित्र का है ....
10. निवास क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने द्वारा
    जरी प्रमाण पत्र कि आवेदक के विरूद्ध कोई भी
    आपराधिक मामला लम्बित नहीं है। ....

मैं वचन देता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनायें असत्य होने अथवा किसी भी प्रकार से गलत पाये जाने की दशा में जारी किया गया लाइसेंस निरस्त किए जाने योग्य होगा।

मैं सभी नियम एवं शर्तों, जैसा अधिसूचित किया गया है और जो शर्ते समय–समय पर विहित की जायेगी, का पूरी निष्ठा से पालन करूँगा।

कुल संलग्नक की संख्या :

स्थान :
दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

नामः.......................

पताः.......................

....

दूरभाष / मोबाईल नंबर.......................................

<u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :</u>

(क) आयु व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र

(ख) पते का प्रमाण–पत्र

(ग) लैंडलाईन टेलीफोन कनेक्शन होने का प्रमाण–पत्र अथवा शपथ पत्र कि आवेदक दो माह में जेटीबीएस के आवंटन के पश्चात लैंडलाईन टेलीफोन कनेक्शन लगा लेगा।

(घ) स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

(ड़) आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

(च) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / ब्लॉक डेपलवमेंट अधिकारी / तहसीलदार द्वारा जारी अच्छे नैतिक चरित्र होने का चरित्र प्रमाण पत्र

(छ) आवेदक को उसके निवास क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं हैं।

— — —